लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 2009 / सी / 632 भोपाल, दिनांक 08/9/2009

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषय :– संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 (व्यायाम शिक्षक) के लिए शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता के अंक के संबंध में मार्गदर्शन विषयक।

—0—

विषयांतर्गत कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 (व्यायाम शिक्षक) के नियुक्ति में शिक्षण प्रशिक्षण उपाधि / पत्रोपाधिधारी अभयार्थियों को अंक दिये जाने के संबंध पृक्षा की गई है इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम 2005 की अनुसूची–दो के सरल क्रमांक –3 के कॉलम क्रमांक–7 शीर्ष अभियुक्तियां के सरल क्रमांक–3 में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 (व्यायाम शिक्षक) के सबंध में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। अतः इनकी चयन सूची पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाए।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

08-09-09

(व्ही.एस. सक्सेना)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक / शिक्षाकर्मी / 2009 / सी / 633/2009 भोपाल, दिनांक 08/9/2009

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।

08-09-09

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र